UPJB010036722026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–959/2026

1. बोबी पुत्र बाबू सिंह
निवासी मौहल्ला गांधी नगर कस्बा व थाना मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार **.....अभियोगी।**

आदेश

दिनांकः–22.06.2026

01– आवेदक/अभियुक्त **बोबी** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **एस.टी.नम्बर–79/2025, अपराध संख्या– 26/2024, धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में सोमी द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी दिनांक 14–1–2024 को समय करीब दिन 3:00 बजे अपने दोस्त प्रिंस पुत्र राम पाल निवासी ग्राम शहवाजपुर गुर्जर थाना मंडी धनौरा से अपने घर को आ रहा था जैसे ही प्रार्थी मौ० शिवपुरी मैं पहुंचा तो सोनू पुत्र नामालूम, बबी सैनी पुत्र नामालूम, राज पुत्र नामालूम नि० गण मौ० गांधीनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा मुझे गंदी–गंदी गाली देने लगे मैंने गाली देने से मना किया तो उन्होंने मेरे साथ लाठी डंडो से मारपीट जिससे मुझे चोटें आई और मुझे जाति सूचक शब्द कहते हुए भाग गए प्रार्थी बाल्मीकि जाति से है तथा मुझे जान से मारने की धमकी दी। वादी की उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0व 3(1)(द), 3(1)(ध)एस.सी./एस.टी.एक्ट एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना उपरान्त धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0व 3(1)(द), 3(1)(ध) एस..सी./एस.टी.एक्ट एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय मे भेजा गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी को झूठा व रंजिश फंसाया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के साथ ना तो मारपीट की गयी और ना ही गंदी गंदी गालियां दी गयी है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी उपरोक्त वाद में जमानत होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। जमानत की याचना करते है।

05. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए साशय लोक दृश्य वाले स्थान पर उसे जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौंच कर अपमानित किया गया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

06. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by HEMLATA TYAGI
Date: 2026.06.22 17:06:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

07. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देना और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए साशय लोक दृश्य वाले स्थान पर उसे जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौंच कर अपमानित कर अपराध कारित करने का अभियोग है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी धाराए सात वर्ष तक सजा की अवधि से दण्डनीय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त को सी.आर.पी.सी. की धारा 41(क) का नोटिस तामील कराकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामलें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त मामलें में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का कोई उल्लघन नहीं किया गया है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। उपरोक्त समस्त परिस्थितयों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत बिना गुण–दोष पर विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **बोबी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है–

01– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों/शिकायतकर्ता को डरायेगा, धमकायेगा नहीं, न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, विचारण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

02– जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा न ही कोई आपराधिक कृत्य करेगा।

दिनांक–22.06.2026

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
अमरोहा।